रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 517] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 1998/पौष 10, 1920
No. 517] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 1998/PAUSA 10, 1920

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1998

सा. का. नि. 778 (अ).—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा करने और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को निवारित करने, नियंत्रित करने और उसका उपशमन करने की दृष्टि से 2-टी तेल (स्नेहक तेल) के प्रदाय, संवितरण, उसके क्रय और विक्रय के संबंध में उपाय करना समीचीन और आवश्यक है;

अत: केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 (1988 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :—

(1) इस आदेश का नाम 2-टी तेल (प्रदाय और संवितरण विनियमन) आदेश, 1998 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :—

इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "2-टी तेल" से ऐसा स्नेहक तेल अभिप्रेत है जो 2-स्ट्रोक पेट्रोल चालित यान इंजनों में प्रयुक्त होता है और वह ए.पी.आई.-टी.सी. (अमेरिकन पैट्रोलियम संस्था-टी.सी.) या जे.ए.एस.ओ. (जापानीज आटोमोबाइल मानक संगठन) विनिर्देशों के अनुरूप है;

(ख) "आधान" से ऐसे सीलबंद पैकेज अभिप्रेत हैं जिसमें घोषित मात्रा में पैकपूर्व 2-टी तेल है;

(ग) "खुला 2-टी तेल" से ऐसा 2-टी तेल अभिप्रेत है जो सीलबंद आधान में नहीं है;

(घ) "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) में परिभाषित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

3. खुले 2-टी तेल के विक्रय और क्रय पर निर्बन्धन—

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के 2-स्ट्रोक इंजन यानों में उपयोग के लिए सर्विस गैरेज में 2-टी तेल का विक्रय या विक्रय के लिए करार अथवा अन्य प्रकार से व्ययन नहीं करेगा।

(2) पेट्रोल स्टेशनों पर 2-टी तेल केवल नोजल के माध्यम से पेट्रोल में पहले मिश्रित करके ही बेचा जाएगा।

परन्तु उपरोक्त निर्बन्धन ऐसे 2-स्ट्रोक इंजन यानों को लागू नहीं होगा जिनमें विनिर्माता द्वारा ऐसी टंकियों के माध्यम से ऐसे यानों के इंजन में उपयोग के लिए 2-टी तेल की अलग से टंकी की व्यवस्था की गई है।

[फा. सं. क्यू-16014/18/98-सी.पी.ए.]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1998

G.S.R. 778(E).— Whereas with a view to protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environment pollution in the National Capital Territory of Delhi, it is expedient and necessary to take measures relating to the supply, distribution, buying and selling of 2-T oil (lubricating oil);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Order namely :—

1. Short title, extent and commencement :—

(1) This Order may be called the 2-T Oil (Regulation of Supply and Distribution) Order, 1998.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—

In this Order, unless the context otherwise requires—

(a) "2-T Oil" means lubricating oil, meeting API-TC (American Petroleum Institute-TC) or JASO (Japanese Automobile Standards Organisation) specification, used in 2-stroke petrol driven vehicle engines;

(b) "container" means a sealed package containing pre-packed 2-T oil in declared quantity;

(c) "loose 2-T oil" means 2-T oil which is not contained in a sealed container;

(d) "National Capital Territory of Delhi" means the National Capital Territory of Delhi as defined in the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992).

3. Restriction on sale and purchase of loose 2-T oil :—

(1) No person shall sell or agree to sell or otherwise dispose of loose 2-T oil in a service garage for use in 2-stroke engine vehicle of any make.

(2) In petrol stations, 2-T oil shall be sold only pre-mixed with petrol through nozzle:

Provided that the above restriction shall not apply to the 2-stroke engine vehicles having separate sump for 2-T oil provided by the manufacturer in containers for use in the engine of such vehicle through such sumps.

[F. No. Q-16014/18/98-CPA]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998